झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

शुद्धि पत्र

पत्रांक – 5 बजट (1) 33/2023 ...1304....... राँची, दिनांक:–..06.10.23..

विभागीय राज्यादेश सं०–14 रा० (वि०) दिनांक–21.07.2023 (ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं०–1008) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास योजना के तहत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत रु० 475.00 लाख, विशेष अंगीभूत उपयोजना अन्तर्गत रु० 75.00 लाख एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत रु० 300.00 लाख यथा कुल राशि रु० 850.00 लाख (आठ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में राज्यादेश के अनुलग्नक–V में राज्य के अन्दर प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, राँची/दुमका में 06 दिवसीय दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण के लिये जिलावार एवं उपयोजनावार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं अनुमानित व्यय विवरणी स्वीकृत है, जो सही है। परन्तु उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक–VI में 'राज्य के अन्दर प्रशिक्षण' संबंधी भौतिक लक्ष्यों के आँकड़े अनुलग्नक–V के अन्तर्गत उक्त संबंधी भौतिक लक्ष्य के आँकड़ों से भिन्न एवं त्रुटिपूर्ण हैं।

3. अतः राज्यादेश के अनुलग्नक–VI में 'राज्य के अन्दर प्रशिक्षण' संबंधी स्वीकृत भौतिक लक्ष्य के आँकड़ों को अनुलग्नक–V में स्वीकृत भौतिक लक्ष्य के आँकड़ों के अनुरूप समझा जाय।

4. राज्यादेश सं०–14 रा० (वि०) दिनांक–21.07.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ, शर्तें एवं अनुलग्नक यथावत् रहेंगे।

5. शुद्धि पत्र प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी० भा०प्र०से०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:– ...1304...................... राँची, दिनांक:–..06.10.23......

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– ....1304....................

राँची, दिनांकः–...06/10/23.....

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/योजना एवं बजट शाखा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– ....1304....................

राँची, दिनांकः–..06/10/23.....

प्रतिलिपिः– कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची तथा सभी जिला कोषागार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– ....1304....................

राँची, दिनांकः–06/10/23......

प्रतिलिपिः– निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य अनुदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, राँची/दुमका/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– ....1304....................

राँची, दिनांकः–..06/10/23......

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (WWW.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव